

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :-

तारीख

01. ऊंकार पिता भैरू जाति धाकड वयस्क पेशा काश्त निवासी फतहपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
02. नरेश पिता ऊंकार जाति धाकड वयस्क पेशा काश्त निवासी फतहपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
03. सीता पुत्री भैरू जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी फतहपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

.....प्रार्थीगण

बनाम

01. कैली पत्नि सीताराम जाति धाकड वयस्क पेशा काश्त निवासी फतहपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
02. मांगीलाल पिता कजोड जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी फतहपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

-: आदेश :-

दिनांक 16-4-18

प्रार्थना पत्र नरेश पिता उंकार, उंकार पिता भैरू, सीता पुत्री भैरू जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी फतहपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0) ने जरिये अभिभाषक श्री रामफूल धाकड प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा फतहपुरा पटवार हल्का उमाजी का खेडा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 80 पर अंकित आराजी संख्या 178, 179, 180, 190, 191, 189 कुल किता 06 रकबा 7-16 बीघा भूमि पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ोसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक उमाजी का खेडा को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 500/- रूपयें तय की जाती है वक्त मौका प्रार्थी अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा फतहपुरा पटवार हल्का उमाजी का खेडा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 80 पर अंकित आराजी संख्या 178, 179, 180, 190, 191, 189 कुल किता 06 रकबा 7-16 बीघा भूमि ^{अ.नं. 333/} बशमलात पड़ोसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /- रूपयें राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।
आदेश सुनाया गया


उप खण्ड अधिकारी
(राज0) उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा
बिजौलियाँ

